भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +2528

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

मंदिरों को जोड़ने के लिए केरल में परिपथ की स्वीकृति

+2528. श्री एम.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रसाद के तहत अधिक योजनाओं को स्वीकृति देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सबरीमाला-श्रीधर्मस्थान मंदिर देश में महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों में से एक है, यदि हां तो आर्यनकवु, कुल्थापूझा और अचेनकोविल जैसे अन्य तीन अय्यप्पा मंदिरों को प्रसाद के तहत जोड़ने के लिए परिपथ की स्वीकृति के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का पीआरएएसएडी के तहत सबरीमाला-तीर्थस्थल के निकट से जुड़े आर्यनकवु, कुल्थापूझा और अचेनकोविल अय्यप्पा मंदिरों के विकास का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने सबरीमाला-तीर्थस्थान के संबंध में आर्यनकवु, कुल्थापूझा और अचेनकोविल अय्यप्पा मंदिरों की तीर्थ पर्यटन क्षमता और अध्यात्मिक पर्यटन क्षमता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का इस संबंध में कोई अध्ययन कराने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के तहत तीर्थ पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए गंतव्यों/स्थानों की पहचान और परियोजनाओं की मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है, जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से योजना के दिशा-निर्देशों दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त होने के आधार पर किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना एक गंतव्य आधारित योजना है। योजना के तहत परियोजनाओं को परिपथ के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थ पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु सबरीमाला मंदिर को कवर करते हुए अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है:-

- वर्ष 2016-17 में 99.99 करोड़ रुपये की लागत से आध्यात्मिक परिपथ के तहत सबरीमाला - एरुमेली-पम्पा-सन्निधानम का विकास।

- वर्ष 2016-17 में 87.20 करोड़ रुपये की लागत से आध्यात्मिक परिपथ के तहत श्री पद्मनाभ अर्नामुला-सबरीमाला का विकास।

(घ) से (ड.): जी नहीं महोदय। पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद और स्वदेश दर्शन योजनाओं के तहत परियोजनाओं पर संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुरोधों/प्रस्तावों के आधार पर विचार किया जाता है और अनुमोदित किया जाता है। इस तरह के अध्ययन कराने और उपयुक्त परियोजनाएं तैयार करने का दायित्व केवल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

****